सत्यमेव जयते

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
के लिए

परिणाम-ढांचा दस्तावेज

(2011-2012)

खंड 1:
दृष्टि, मिशन, उद्देश्य, और कार्य

दृष्टिः

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की क्रमबद्ध एवं संतुलित वृद्धि और विकास सुनिश्चित करना और इसके माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि के एक इंजन के रूप में सूलमउ की भूमिका को बनाए रखना एवं मजबूत बनाना।

मिशनः

मौजूदा उद्यमों को सहायता उपलब्ध कराकर एवं नए उद्यमों के सृजन को प्रोत्साहित करके संबंधित मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों एवं अन्य पणधारियों के साथ सहयोग से खादी, ग्रामीण एवं कयर उद्योगों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की संवर्धनात्मक वृद्धि एवं विकास करना। पंजीकृत उद्यमों में 40 प्रतिशत की संचयी वृद्धि प्राप्त करने के प्रयत्न करना एवं 12वीं योजना के अंत तक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इस क्षेत्र के योगदान को वर्तमान 8 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक बढ़ाना।

उद्देश्यः

1. मौजूदा सूलमउ की वृद्धि और विकास
2. नए उद्यमों का सृजन
3. खादी, ग्राम एवं कयर उद्योगों की वृद्धि और विकास
4. कौशल एवं उद्यमिता विकास एवं गुणवत्ता उन्नयन

कार्यः

1 सूलमउ को ऋण प्रवाह की सुविधा
2 सूलमउ की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार
3 क्लस्टर आधारित पहुंच के माध्यम से सूलमउ का संवर्धन
4 सूलमउ को विपणन सहायता
5 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के माध्यम से नए उद्यमों का सृजन

6 खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र की वृद्धि और विकास
7 कयर उद्योग की वृद्धि और विकास
8 कौशल विकास एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण

खंड 2:

प्रमुख उद्देश्य, सफल संकेतकर्ता और लक्ष्यों में पारस्परिक प्राथमिकताएं

उद्देश्य	भार	कार्रवाई	सफलता संकेतकर्ता	इकाई	भार	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	साधारण	हल्का
						100%	90%	80%	70%	60%
1.मौजूदा सूलमउ की वृद्धि और विकास	48.00	1.1 सूलमउ के लिए ऋण प्रवाह की सुविधा	1.1.1 ऋण गारंटी स्कीम के अधीन गारंटी के साथ ऋण उपलब्ध कराया गया	रुपए करोड में	4.00	12000	11000	9500	8400	7200
			1.1.2 कार्यनिष्पादन और क्रेडिट रेटिंग की गई सूलमउ इकाईयों की संख्या	इकाइयों की संख्या	4.00	18000	16200	14400	12600	10800
		1.2 सूलमउ की प्रतिस्पर्धा में सुधार	1.2.1 ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस) के माध्यम से प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए दिया गया आवधिक ऋण	रुपए करोड में	4.00	2500	2300	2000	1750	1500
			1.2.2 लीन विनिर्माण तकनीकों के साथ सूलमउ की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना	इकाइयों की संख्या	3.00	650	600	520	450	390
			1.2.3 क्यएमएस/क्यूटीटी के माध्यम से गुणवत्ता सुधार	इकाइयों की संख्या	2.00	90	80	72	63	54
			1.2.4 सूक्ष्म लघु उद्यमों में नए उत्पाद/प्रक्रिया डिजाइन की शुरुआत	इकाइयों की संख्या	3.00	55	50	45	40	33
			1.2.5 सूलमउ में ऊर्जा क्षमता की वृद्धि करना	इकाइयों की संख्या	2.00	55	50	45	40	33
			1.2.6 सूलमउ क्लस्टरों में आईसीटी अपनाना	क्लस्टरों की संख्या	3.00	35	30	28	25	21
			1.2.7 नए व्यापार विचारों का इंक्यूबेशन	विचारों की संख्या	2.00	90	80	72	63	54
		1.3 क्लस्टर आधारित एप्रोच के माध्यम से सूलमउ	1.3.1 सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) के अधीन सीएफसी अधिकृत किए गए	क्लस्टरों की संख्या	4.00	12	10	9	8	7

		का संवर्धन	1.3.2 ऐसे स्फूर्ति क्लस्टर जिन्होंने वर्ष के दौरान उत्पादकता में वृद्धि दर्ज की	क्लस्टरों की संख्या	5.00	90	80	70	60	50
			1.3.3 आधारसंरचनात्मक विकास कार्यक्रम के अधीन स्थापित नए सूलमउ	इकाइयों की संख्या	3.00	550	500	450	400	330
			1.3.4 स्फूर्ति योजना का एक स्वतंत्र मूल्यांकन करना	तारीख	2.00	30/11/ 2011	31/12/ 2011	31/01/ 2012	29/02/ 2012	31/03/ 2012
		1.4 सूलमउ को विपणन सहायता	1.4.1 अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए उद्यमियों को सहायता उपलब्ध कराई गई	इकाइयों की संख्या	2.00	1500	1350	1200	1050	900
			1.4.2 आयोजित/सहप्रायोजित घरेलू मेलों एवं प्रदर्शनियों की संख्या	मेलों की संख्या	2.00	450	400	360	320	280
		1.5.1 वर्तमान डिलीवरी व्यवस्था का मूल्यांकन एवं पुनर्संरचना	1.5.1 पुनःसंगठित एवं पुनर्संरचित करने के लिए सूलमउ विकास संस्थानों पर अध्ययन	तारीख	3.00	15/02/ 2012	22/02/ 2012	29/02/ 2012	07/03/ 2012	14/03/ 2012
2. नए उद्यमों का सृजन	18.00	2.1 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के माध्यम से नए उद्यमों का सृजन	2.1.1 नई इकाइयां स्वीकृत की गई	इकाइयों की संख्या	7.00	62000	56000	50000	43000	36000
			2.1.2 उन इकाइयों को संचालन में लाना जिनमें 31.03.2010 तक पीएमईजीपी के अधीन सब्सिड़ी लाभार्थियों के खातों में अंतरित कर दी गई है।	%	7.00	75	70	65	60	55
			2.1.3 पीएमईजीपी के अधीन स्थापित इकाइयों में लाभार्थी सर्वे आयोजित करना।	तारीख	3.00	15/02/ 2012	22/02/ 2012	29/02/ 2012	07/03/ 2012	14/03/ 2012
		2.2 राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना के अधीन प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों को पथ-प्रदर्शन सहायता	2.2.1 योजना के अधीन उद्यमियों को सहायता प्रदान की गई।	उद्यमियों की संख्या	1.00	5000	4500	4000	3500	3000

3 खादी, ग्रामीण और कयर उद्योगों की वृद्धि और विकास	13.00	3.1 केवीआई क्षेत्र की वृद्धि और विकास	3.1.1 खादी की सकल बिक्री	रुपए करोड़ में	3.00	900	880	850	800	750
			3.1.2 खादी के उत्पादन मूल्य के समक्ष खादी की वार्षिक सकल बिक्री	%	3.00	125	115	100	90	80
		3.2 कयर उद्योग की वृद्धि और विकास	3.2.1 रिमोट के अधीन सहायतित कयर इकाइयां	इकाइयों की संख्या	1.00	900	800	700	600	500
			3.2.2 कयर और कयर उत्पादों का निर्यात	रुपए करोड़ में	1.00	800	720	640	560	480
			3.2.3 अनुसंधान और विकास हस्तक्षेप के माध्यम से नई प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन	प्रदर्शनों की संख्या	1.00	200	180	160	140	120
			3.2.4 रिमोट योजना का स्वतंत्र मूल्यांकन करना	तारीख	2.00	30/11/ 2011	31/12/ 2011	31/01/ 2012	29/02/ 2012	31/03/ 2012
		3.3 एमगिरि द्वारा ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकी का अंतरण	3.3.1 एमगिरी के माध्यम से मॉडल उद्यमों को पथप्रदर्शन/तकनीकी सहायता हेतु कार्रवाई शुरु करना	संख्या	1.00	75	70	60	50	40
			3.3.2 ग्रामीण उद्योगों में विकसित मशीन/प्रक्रिया/सेवाओं का विकास	संख्या	1.00	25	23	20	18	15
4.कौशल एवं उद्यमिता विकास एवं गुणवत्ता उन्नयन	6.00	4.1 एसडीपी/ ईडीपी प्रशिक्षण	4.1.1 प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	व्यक्तियों की संख्या लाखों में	3.00	3.38	3.15	2.93	2.70	2.48
			4.1.2 पूर्वोत्तर क्षेत्रों एवं दुर्गम क्षेत्रों में प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	व्यक्तियों की संख्या लाखों मे	1.00	0.37	0.35	0.32	0.30	0.27
		4.2 गुणवत्ता परीक्षण के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना	4.2.1 डीपीआर की तैयारी	तरीख	2.00	15/03/ 2012	22/03/ 2012	26/03/ 2012	28/03/ 2012	30/03/ 2012

*आरएफडी पद्धति का प्रभावी कार्यकरण	3.00	अनुमोदन के लिए मसौदा की समय पर प्रस्तुति	समय पर प्रस्तुति	दिनांक	2.00	07/03/ 2011	08/03/ 2011	09/03/ 2011	10/03/ 2011	11/03/ 2011
		परिणामों की समय पर प्रस्तुति	समय पर प्रस्तुति	दिनांक	1.00	01/05/ 2012	03/05/ 2012	04/05/ 2012	05/05/ 2012	06/05/ 2012
*आंतरिक दक्षता/ प्रतिक्रियात्मकता/मंत्रालय /विभाग की सेवा सुपुर्दगी में सुधार करना	10.00	विभाग से संगत एआरसी II की 3 प्रमुख सिफारिशों की पहचान और कार्यान्वयन	विभाग से संगत एआरसी II की 3 प्रमुख सिफारिशों को अंतिम रूप देना	दिनांक	2.00	10/12/ 2011	15/12/ 2011	20/12/ 2011	24/12/ 2011	31/12/ 2011
		विभागीय गतिविधियों से संबंधित भ्रष्टाचार के संभावित क्षेत्रों की पहचान करना और उनका शमन करने के लिए एक कार्य योजना विकसित करना	भ्रष्टाचार के संभावित क्षेत्रों का शमन करने हेतु कार्य योजना को अंतिम रूप देना	दिनांक	2.00	10/12/ 2011	15/12/ 2011	20/12/ 2011	24/12/ 2011	31/12/ 2011
		विभाग/मंत्रालय में ई–ऑफिस के कार्यान्वयन हेतु एक कार्य योजना विकसित करना	ई–आफिस हेतु कार्य योजना को अंतिम रूप देना	दिनांक	2.00	10/12/ 2011	15/12/ 2011	20/12/ 2011	24/12/ 2011	31/12/ 2011
		आईएसओ 9001 प्रमाणन के कार्यान्वयन हेतु एक कार्य योजना विकसित करना	आईएसओ 9001 प्रमाणन के कार्यान्वयन हेतु कार्य योजना को अंतिम रूप देना	दिनांक	2.00	10/12/ 2011	15/12/ 2011	20/12/ 2011	24/12/ 2011	31/12/ 2011
		सेवोत्तम का	नागरिक चार्टर के कार्यान्वयन की स्वतंत्र	%	1.00	100	95	90	85	80

		कार्यान्वयन	लेखापरीक्षा							
			शिकायत समाधान प्रणाली के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखापरीक्षा	%	1.00	100	95	90	85	80
*वित्तीय जवाबदेही ढाँचे का अनुपालन सुनिश्चित करना	2.00	सी एंड एजी के लेखापरीक्षा पैरा पर एटीएन का समय पर प्रस्तुतीकरण	वर्ष के दौरान सीएजी द्वारा संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की तारीख से देय तारीख के भीतर (4 माह) प्रस्तुत एटीएन की प्रतिशतता	%	0.50	100	90	80	70	60
		पीएसी रिपोर्टों पर पीएसी सचि.को एटीआर का समय पर प्रस्तुतीकरण	वर्ष के दौरान पीएसी द्वारा संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की तारीख से देय तारीख के भीतर (6 माह) प्रस्तुत एटीआर की प्रतिशतता	%	0.50	100	90	80	70	60
		31.3.2011 से पूर्व संसद को प्रस्तुत की गई सी एंड एजी रिपोर्टों के लेखापरीक्षा पैरा पर लंबित एटीएन का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान निपटाई गई बकाया एटीएन की प्रतिशतता	%	0.50	100	90	80	70	60
		31.3.2011 से पूर्व संसद को प्रस्तुत की गई पीएसी रिपोर्टों पर लंबित एटीआर का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान निपटाई गई बकाया एटीआर की प्रतिशतता	%	0.50	100	90	80	70	60

* अनिवार्य लक्ष्य

खंड 3:
सफल संकेतकर्ताओं के प्रवृति मूल्य

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता संकेतकर्ता	इकाई	वि.व. 09/10 हेतु वास्तविक मूल्य	वि.व. 10/11 हेतु वास्तविक मूल्य	वि.व. 11/12 हेतु लक्ष्य मूल्य	वि.व. 12/13 हेतु अनुमानित मूल्य	वि.व. 13/14 हेतु अनुमानित मूल्य
1.मौजूदा सूलमउ की वृद्धि और विकास	सूलमउ के लिए ऋण प्रवाह की सुविधा	ऋण गारंटी स्कीम के अधीन गारंटी के साथ ऋण उपलब्ध कराया गया।	रुपए करोड में	6875	10695	11000	12000	13000
		कार्यनिष्पादन और क्रेडिट रेटिंग की गई सूलमउ इकाईयों की संख्या	इकाइयों की संख्या	7500	9500	16200	18000	20000
	सूलमउ की प्रतिस्पर्धा में सुधार	सीएलसीएसएस के माध्यम से प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु आवधिक ऋण प्रदान किया गया।	रुपए करोड़ में	1000	1300	2300	2500	2750
		लीन विनिर्माण तकनीकों के साथ सूलमउ की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना	इकाइयों की संख्या	41	554	600	660	700
		क्यएमएस/क्यूटीटी के माध्यम से गुणवत्ता सुधार	इकाइयों की संख्या	--	60	80	90	100
		सूक्ष्म, लघु उद्यमों में नए उत्पाद/प्रक्रिया डिजाइन की शुरुआत	इकाइयों की संख्या	--	27	50	55	60
		सूलमउ में ऊर्जा क्षमता की वृद्धि करना	इकाइयों की संख्या	--	--	50	55	60
		सूलमउ क्लस्टरों में आईसीटी अपनाना	क्लस्टरों की संख्या	--	--	30	35	40
		नए व्यापार विचारों का इंक्यूबेशन	विचारों की संख्या	--	--	80	90	100

	क्लस्टर आधारित एप्रोच के माध्यम से सूलमउ का संवर्धन	सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) के अधीन सीएफसी अधिकृत किए गए	क्लस्टरों की संख्या	5	8	10	12	14
		ऐसे स्फूर्ति क्लस्टर जिन्होंने वर्ष के दौरान उत्पादकता में वृद्धि दर्ज की	क्लस्टरों की संख्या	72	75	80	90	100
		आधारसंरचनात्मक विकास कार्यक्रम के अधीन स्थापित नए सूलमउ	इकाइयों की संख्या	400	450	500	550	600
		स्फूर्ति योजना का एक स्वतंत्र मूल्यांकन करना	तारीख	--	--	31/12/2011	--	--
	सूलमउ को विपणन सहायता	अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए उद्यमियों को सहायता उपलब्ध कराई गई	इकाइयों की संख्या	455	1351	1350	1500	1600
		आयोजित/सहप्रायोजित घरेलू मेलों एवं प्रदर्शनियों की संख्या	मेलों की संख्या	80	451	400	500	550
	वर्तमान डिलीवरी व्यवस्था का मूल्यांकन एवं पुनर्संरचना	पुनःसंगठित एवं पुनर्संरचित करने के लिए सूलमउ विकास संस्थानों पर अध्ययन	तारीख	--	--	22/02/2012	--	--
2.नए उद्यमों का सृजन	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के माध्यम से नए उद्यमों का सृजन	नई इकाइयां स्वीकृत की गई	इकाइयों की संख्या	36444	62000	56000	50000	43000
		उन इकाइयों को संचालन में लाना जिनमें 31.03.2010 तक पीएमईजीपी के अधीन सब्सिड़ी लाभार्थियों के खातों में अंतरित कर दी गई है।	%	--	--	70	--	--
		पीएमईजीपी के अधीन स्थापित इकाइयों में लाभार्थी सर्वे आयोजित करना।	तारीख	--	--	22/02/2012	--	--
	राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना के अधीन प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों को पथ-प्रदर्शन सहायता	योजना के अधीन उद्यमियों को सहायता प्रदान की गई।	उद्यमियों की संख्या	4000	4036	4500	5000	6000

3. खादी, ग्रामीण और कयर उद्योगों की वृद्धि और विकास	केवीआई क्षेत्र की वृद्धि और विकास	खादी की सकल बिक्री	रुपए करोड़ में	867	704	880	900	950
		खादी के उत्पादन मूल्य के समक्ष खादी की वार्षिक सकल बिक्री	%	137	144	115	120	135
	कयर उद्योग की वृद्धि और विकास	रिमोट के अधीन सहायतित कयर इकाईयां	इकाइयों की संख्या	706	490	800	820	840
		कयर और कयर उत्पादों का निर्यात	रु. करोड़	804	720	720	820	850
		अनुसंधान और विकास हस्तक्षेप के माध्यम से नई प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन	प्रदर्शनों की संख्या	182	394	180	160	140
		रिमोट योजना का स्वतंत्र मूल्यांकन करना	तारीख	--	--	31/12/ 2011	--	--
	एमगिरि द्वारा ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकी का अंतरण	एमगिरी के माध्यम से मॉडल उद्यमों को पथप्रदर्शन/तकनीकी सहायता हेतु कार्रवाई शुरु करना	संख्या	--	68	70	80	90
		ग्रामीण उद्योगों में विकसित मशीन/प्रक्रिया/सेवाओं का विकास	संख्या	--	21	23	30	35
4. कौशल एवं उद्यमिता विकास एवं गुणवत्ता उन्नयन	एसडीपी/ ईडीपी प्रशिक्षण	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	व्यक्तियों की संख्या लाख में	3.59	3.16	3.15	3.38	3.60
		पूर्वोत्तर क्षेत्रों एवं दुर्गम क्षेत्रों में प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	व्यक्तियों की संख्या लाख में	--	0.20	0.35	0.37	0.40
	गुणवत्ता परीक्षण के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना	डीपीआर की तैयारी	तारीख	--	--	22/03/ 2012	--	--
*आरएफडी पद्धति का प्रभावी कार्यकरण	अनुमोदन के लिए मसौदा की समय पर प्रस्तुति	समय पर प्रस्तुति	तारीख	--	05/03/ 2010	08/05/ 2011	--	--
	परिणामों की समय पर प्रस्तुति	समय पर प्रस्तुति	तारीख	--	10/10/ 2010	03/05/ 2011	--	--
*आंतरिक	विभाग से संगत एआरसी II	विभाग से संगत एआरसी II की 3 प्रमुख	तारीख	--	--	15/12/ 2011	--	--

दक्षता/ प्रतिक्रियात्मकता/मंत्रालय/ विभाग की सेवा सुपुर्दगी में सुधार करना	की 3 प्रमुख सिफारिशों की पहचान और कार्यान्वयन	सिफारिशों को अंतिम रूप देना						
	विभागीय गतिविधियों से संबंधित भ्रष्टाचार के संभावित क्षेत्रों की पहचान करना और उनका शमन करने के लिए एक कार्य योजना विकसित करना	भ्रष्टाचार के संभावित क्षेत्रों का शमन करने हेतु कार्य योजना को अंतिम रूप देना	तारीख	--	--	15/12/ 2011	--	--
	विभाग/मंत्रालय में ई-ऑफिस के कार्यान्वयन हेतु एक कार्य योजना विकसित करना	ई-आफिस हेतु कार्य योजना को अंतिम रूप देना	तारीख	--	--	15/12/ 2011	--	--
	आईएसओ 9001 प्रमाणन के कार्यान्वयन हेतु एक कार्य योजना विकसित करना	आईएसओ 9001 प्रमाणन के कार्यान्वयन हेतु कार्य योजना को अंतिम रूप देना	तारीख	--	--	15/12/ 2011	--	--
	सेवोत्तम का कार्यान्वयन	नागरिक चार्टर के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखापरीक्षा	%	--	--	95	--	--
		लोक शिकायत समाधान प्रणाली के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखापरीक्षा	%	--	--	95	--	--
*वित्तीय जवाबदेही ढॉचे का अनुपालन सुनिश्चित करना	सी एंड एजी के लेखापरीक्षा पैरा पर एटीएन का समय पर प्रस्तुतीकरण	वर्ष के दौरान सीएजी द्वारा संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की तारीख से देय तारीख के भीतर (4 माह) प्रस्तुत एटीएन की प्रतिशतता	%	--	100	90	--	--
	पीएसी रिपोर्टों पर पीएसी सचिव को एटीआर का समय पर प्रस्तुतीकरण	वर्ष के दौरान पीएसी द्वारा संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की तारीख से देय तारीख के भीतर (6 माह) प्रस्तुत एटीआर की प्रतिशतता	%	--	100	90	--	--
	31.3.2011 से पूर्व संसद को प्रस्तुत की गई सी एंड	वर्ष के दौरान निपटाई गई बकाया एटीएन की प्रतिशतता	%	--	24	90	--	--

	एजी रिपोर्टों के लेखापरीक्षा पैरा पर लंबित एटीएन का शीघ्र निपटान							
	31.3.2011 से पूर्व संसद को प्रस्तुत की गई पीएसी रिपोर्टों पर लंबित एटीआर का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान निपटाई गई बकाया एटीआर की प्रतिशतता	%	--	100	90	--	--

*अनिवार्य लक्ष्य

खंड 4 :
सफल संकेतकर्ताओं का विवरण और परिभाषा और प्रस्तावित मापन पद्धति

खंड 2 और 3 के संबंधित कॉलमों में यथा उल्लिखित, सफल संकेतकर्ता, अधिक और कम स्वतःस्पष्ट हैं। विभिन्न सफल संकेतकर्ताओं के लिए प्रस्तावित मापन पद्धति के साथ-साथ विवरण, परिभाषा निम्न प्रकार हैः-

मानदंड/सफलता संकेतकर्ता	विवरण, परिभाषा और प्रस्तावित मापन पद्धति
1.1.1 ऋण गारंटी स्कीम के अधीन गारंटी के साथ ऋण उपलब्ध कराया गया	ऋण गारंटी स्कीम के अधीन कवर की गई ऋण की राशि।
1.1.2 कार्यनिष्पादन और क्रेडिट रेटिंग की गई सूलमउ इकाईयों की संख्या	सूचीबद्ध रेटिंग एजेंसी से ऋण रेटिंग प्रमाणपत्र की प्राप्ति।
1.2.1 ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस) के माध्यम से प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए दिया गया आवधिक ऋण	आवधिक ऋण प्राप्त करने के बाद बैंकों के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सब्सिड़ी का वितरण।
1.2.2 लीन विनिर्माण तकनीकों के साथ सूलमउ की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना	लीन तकनीकों के कारण सूलमउ की उत्पादकता में सुधार।
1.2.3 क्यएमएस/क्यूटीटी के माध्यम से गुणवत्ता सुधार	सूलमउ की प्रक्रिया/उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार।
1.2.4 सूक्ष्म लघु उद्यमों में नए उत्पाद/प्रक्रिया डिजाइन की शुरुआत	नए उत्पादों अथवा विकसित उत्पादों की बिक्री में वृद्धि।
1.2.5 सूलमउ में ऊर्जा क्षमता की वृद्धि करना	सूलमउ के लिए ऊर्जा लागत में बचत।
1.2.6 सूलमउ क्लस्टरों में आईसीटी अपनाना	क्षमता, विपणन और प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए इकाइयों द्वारा 'आईसीटी' अपनाना।
1.2.7 नए व्यापार विचारों का इंक्यूबेशन	व्यावसायीकरण के लिए नए व्यापारिक विचारों की सुविधा प्रदान की गई।
1.3.1 सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) के अधीन सीएफसी अधिकृत किए गए	सभी संदर्भों में संपूर्ण सामान्य सुविधा केंद्र एवं संचालित।
1.3.2 ऐसे स्फूर्ति क्लस्टर जिन्होंने वर्ष के दौरान उत्पादकता में वृद्धि दर्ज की	सफलता का मूल्यांकन उन क्लस्टरों की संख्या द्वारा किया जाएगा जिन्होंने वर्ष के दौरान प्रति व्यक्ति उत्पादन के मूल्य में वृद्धि दर्ज की है।
1.3.3 आधारसंरचनात्मक विकास कार्यक्रम के अधीन स्थापित नए सूलमउ	उद्यमियों द्वारा स्थापित नए सूलमउ जिन्होंने उत्पादन आरंभ कर दिया है।
1.3.4 स्फूर्ति योजना का एक स्वतंत्र मूल्यांकन करना	एक स्वतंत्र मूल्यांकन संचालित करने के लिए चयनित एजेंसी द्वारा रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण।
1.4.1 अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए उद्यमियों को सहायता उपलब्ध कराई गई	उद्यमियों/इकाइयों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी। उद्यमियों द्वारा भागीदारी को इकाई द्वारा भागीदारी के रूप में माना जाएगा, हॉलांकि, यदि एक समान मेलों/प्रदर्शनियों में एक से अधिक उद्यमी ने भाग लिया, तो

	इसे केवल एक इकाई द्वारा भागीदारी के रूप में माना जाएगा।
1.4.2 आयोजित/सहप्रायोजित घरेलू मेलों एवं प्रदर्शनियों की संख्या	सूलमउ के लिए घरेलू व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन अथवा सह-आयोजन।
1.5.1 पुनःसंगठित एवं पुनर्संरचित करने के लिए सूलमउ विकास संस्थानों पर अध्ययन	अध्ययन संचालित करने के लिए चयनित एजेंसी द्वारा रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण।
2.1.1 नई इकाइयां स्वीकृत की गई	सफलता का मापन उन नई इकाइयों द्वारा किया जाएगा जिनको जिला स्तरीय कार्य बल द्वारा अनुशंसित किए जाने के बाद बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया।
2.1.2 उन इकाइयों को संचालन में लाना जिनमें 31.03.2010 तक पीएमईजीपी के अधीन सब्सिड़ी लाभार्थियों के खातों में अंतरित कर दी गई है।	सफलता का मापन उन इकाइयों की प्रतिशतता के द्वारा किया जाएगा जिनमें पीएमईजीपी के अधीन दिनांक 31.03.2010 तक लाभार्थियों के खातों में सब्सिड़ी अंतरित की जा चुकी है एवं उन्होंने कार्य आरंभ कर दिया है।
2.1.3 पीएमईजीपी के अधीन स्थापित इकाइयों में लाभार्थी सर्वे आयोजित करना।	लाभार्थी सर्वे संचालित करने के लिए चयनित एजेंसी द्वारा रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण।
2.2.1 योजना के अधीन उद्यमियों को सहायता प्रदान की गई।	उद्यमी मित्रों द्वारा उद्यमियों का पंजीकरण।
3.1.1 खादी की सकल बिक्री	वित्तीय वर्ष के दौरान खादी की सकल बिक्री का मूल्य जैसा कि केवीआईसी ने रिपोर्ट किया।
3.1.2 खादी के उत्पादन मूल्य के समक्ष खादी की वार्षिक सकल बिक्री	वर्ष के दौरान खादी की सकल बिक्री का मल्य जैसा कि वित्तीय वर्ष के दौरान खादी के उत्पादन मूल्य की प्रतिशतता के रूप में अभिव्यक्त किया गया।
3.2.1 रिमोट के अधीन सहायतित कयर इकाइयां	इकाइयों की संख्या जिनकों रिमाट के अधीन बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया।
3.2.2 कयर और कयर उत्पादों का निर्यात	कॅयर उद्योग द्वारा सभी कॅयर उत्पादों का निर्यात।
3.2.3 अनुसंधान और विकास हस्तक्षेप के माध्यम से नई प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन	अनुसंधान और विकास हस्तक्षेपों के माध्यम से विकसित नई प्रौद्योगिकी/उत्पादों के सफल प्रदर्शनों की संख्या।
3.2.4 रिमोट योजना का स्वतंत्र मूल्यांकन करना	स्वतंत्र मूल्यांकन संचालित करने के लिए चयनित एजेंसी द्वारा रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण।
3.3.1 एमगिरी के माध्यम से मॉडल उद्यमों को पथप्रदर्शन/तकनीकी सहायता हेतु कार्रवाई शुरु करना	सफलता का मूल्यांकन उन नई इकाइयों/उद्यमों की संख्या द्वारा किया जाएगा जिन्हें एमगिरि ने तकनीकी सहायता एवं पथप्रदर्शन उपलब्ध कराया है।
3.3.2 ग्रामीण उद्योगों में विकसित मशीन/प्रक्रिया/सेवाओं का विकास	सफलता का मूल्यांकन एमगिरि द्वारा विकसित नए प्रोटोटाइप्स/प्रक्रियाओं/सेवाओं की संख्या द्वारा किया जाएगा।
4.1.1 प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	प्रशिक्षुओं द्वारा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर।
4.1.2 पूर्वोत्तर क्षेत्रों एवं दुर्गम क्षेत्रों में प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम,, जम्मू और कश्मीर एवं नक्सल प्रभावित राज्यों में प्रशिक्षुओं द्वारा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर।
4.2.1 डीपीआर की तैयारी	ऐजेंसी द्वारा डीपीआर का प्रस्तुतीकरण जिसे इस उद्देश्य हेतु चयनित किया गया।

प्रयुक्त संकेताक्षर

संकेताक्षर	पूर्ण रूप
एडीबी	एशियाई विकास बैंक
सीसीईए	आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति
सीएफसी	सामान्य सुविधा केंद्र
सीजीटीएमएसई	सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी न्यास
सीएलसीएसएस	ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी स्कीम
डीआईसी	जिला उद्योग केंद्र
ईडीपी	उद्यमिता विकास कार्यक्रम
ईएसडीपी	उद्यमिता सह कौशल विकास कार्यक्रम
जीएम	महाप्रबंधक
आईसीटी	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
आईपीएफसी	बौद्धिक सम्पदा सुविधा केन्द्र
आईपीआर	बौद्धिक सम्पदा अधिकार
केआरडीपी	खादी सुधार और विकास कार्यक्रम
केवीआई	खादी और ग्रामोद्योग
केवीआईसी	खादी और ग्रामोद्योग आयोग
एमजीआईआरआई	महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान
एमएसई-सीडीपी	सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम
एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
एमएसएमई-डीआई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संस्थान
एनएमसीपी	राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम
एनएसआईसी	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम
पीएमईजीपी	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
क्यूएमएस	गुणवत्ता प्रबंधन पद्धति
क्यूटीटी	गुणवत्ता प्रौद्योगिकी औजार
आर एंड डी	अनुसंधान और विकास
आरईजीपी	ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम
आरईएमओटी	कयर उद्योग का पुनरूज्जीवन, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन
आरजीयुएमवाई	राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना
एसडीपी	कौशल विकास कार्यक्रम
एसएफयूआरटी	परम्परागत उद्योगों के पुनरूद्धार हेतु निधि स्कीम

खंड 5 :
अन्य विभागो से अपेक्षित विशिष्ट कार्यनिष्पादन

विभाग	संगत सफल संकेतकर्ता	आपको क्या आवश्यकता है ?	आपको इसकी क्यों आवश्यकता है?	आपको कितनी आवश्यकता है ?	क्या हुआ यदि आपको यह नही मिला ?
बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्ब बैंक	सूलमउ को ऋण प्रवाह की सुविधा	सूलमउ को प्राथमिकता आधार पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंकों को विनिर्देश।	ऋण केवल बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया जाना है।	बगैर सम्पार्शिविक प्रतिभूति के प्राथमिक क्षेत्र के अधीन सूक्ष्म क्षेत्र को शुद्ध बैक ऋण का कम से कम 10 प्रतिशत नियत करना।	लक्ष्य प्राप्त नही किए जाएंगें।
	पीएमईजीपी के माध्यम से नए सूक्ष्म उद्यमों का सृजन	प्राथमिकता आधार पर पीएमईजीपी के आवेदकों को ऋण स्वीकृति के लिए बैंकों को विनिर्देश।	बैंकों से ऋण की स्वीकृति के बगैर नए सूक्ष्म उद्यम सृजित नहीं किए जा सकते हैं।	स्कीम के अधीन लक्ष्यानुसार।	लक्ष्य प्राप्त नही किए जाएंगें।
	रिमोट के अधीन सहायतित इकाईयों की संख्या।	ऋण स्वीकृति के लिए बैंकों को विनिर्देश	बैंकों से ऋण की स्वीकृति के बगैर नए सूक्ष्म उद्यम सृजित नहीं किए जा सकते हैं।	स्कीम के अधीन लक्ष्यानुसार	लक्ष्य प्राप्त नही किए जाएगे
राज्य सरकारें	पीएमईजीपी के माध्यम से नए सूक्ष्म उद्यमों का सृजन	समय पर कार्रवाई और आवेदनों के अनुमोदन हेतु जिला कलक्टर/जिला मजिस्ट्रेट और महाप्रबंधक-जिला	पीएमईजीपी के अधीन आवेदनों को एकत्रित किया जाना होता है और महाप्रबंधक-जिला उद्योग केन्द्र/राज्य केवीआईबी द्वारा कार्रवाई की जाती है	वरिष्ठ स्तर पर मॉनीटरिंग सहित राज्य सरकार से पूर्ण सहयोग और सहायता	लक्ष्य प्राप्त नही किए जाएगे

		उद्योग केन्द्र और राज्य केवीआईबी को विनिर्देश	तथा जिला कलक्टर/जिला मजिस्ट्रेट के अधीन कार्यबल द्वारा अनुमोदन किया जाता है।		
	क्लस्टर आधारित पहुंच के माध्यम से सूलमउ का संवर्धन	आवश्यक अवसंरचना सहायता उपलब्ध कराना	अधिकांश अवसंरचना सुविधा जैसे भूमि, विद्युत, पानी, सड़क आदि राज्य सरकारों/उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई जानी होती है।	क्लस्टर की अपेक्षानुसार	लक्ष्य प्राप्त नही किए जाएगे।
	स्कीम के अधीन सहायतित उद्यमी	संबंधित राज्यों के आयुक्त/निदेशक (उद्योग) द्वारा उद्यमी मित्र के दावों का शीघ्र निपटान एवं जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक के साथ फाइल्ड ईएम-II की तत्काल पावती।	उद्यमी मित्र का कार्यनिष्पादन, संबंधित राज्यों के आयुक्त/निदेशक(उद्योग) द्वारा उनके दावों के शीघ्र भुगतान पर निर्भर करता है। दूसरे चरण हेतु उद्यमी मित्रों के दावे केवल संबंधित जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक द्वारा दिए गए ईएम-II की पावती के पश्चात ही देय होते हैं एवं इकाई को वास्तविक रुप में माना जाता है।	पूर्ण सहयोग और सहायता।	लक्ष्य प्राप्त नही किए जाएगे।

खंड 6:
विभाग/मंत्रालय का परिणाम/प्रभाव

विभाग/मंत्रालय का परिणाम/प्रभाव	निम्न विभागों/मंत्रालयों के परिणाम/प्रभाव को प्रभावित करने के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार	सफलता संकेतकर्ता	वि.व. 09/10	वि.व. 10/11	वि.व. 11/12	वि.व. 12/13	वि.व. 13/14
1 देश में सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र में उद्यमिता आधार को मजबूत बनाना।	केवीआईसी, राज्य उद्योग विभाग, राज्य केवीआई बोर्ड एवं बैंक	नए उद्यमियों की संख्या जिन्हें सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए मार्जिन मनी सब्सिड़ी उपलब्ध कराई गई।	39,502	40,000	42,000	44,000	45,000
2 वर्तमान इकाइयॉं वैश्विक रूप से अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करेंगी।	वाणिज्य मंत्रालय, निर्यात संवर्धन परिषदें	निर्यात में वृद्धि।	--	--	15%	15%	15%
3 खादी उत्पादन में वृद्धि।	केवीआईसी एवं खादी संस्थाएँ	अनुमानित उत्पादन ऑंकडें (मूल्य रुपए करोड में)	629	650	700	800	900
4 कयर उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि।	कयर बोर्ड एवं कयर इकाइयॉं	कयर फाइबर उत्पादन (मात्रा लाख मीट्रिक टन में)	5.07	5.27	5.48	5.70	5.93
5 कयर उत्पादों के निर्यात में वृद्धि।	कयर बोर्ड और कयर निर्यात	कयर निर्यात (करोड़ रू. में)	804	720	800	820	850
6 क्लस्टरों में ग्रामोद्योग के कारीगरों की आय में वृद्धि।	खादी ग्रामोद्योग आयोग, राज्य उद्योग विभाग, राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड	आधार वर्ष 2008-09 (%) के संदर्भ में ग्रामोद्योगों के कारीगरों की आय में वृद्धि	25	35	40	45	50
7 उत्पादकता और स्वः/मजदूरी रोजगार वृद्धि के लिए सूलमउ क्षेत्र में कुशल जन शक्ति उपलब्ध कराना।	शून्य	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	3.59 लाख	3.36 लाख	3.75 लाख	3.75 लाख	4.00 लाख